राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोनः– 2708739

E-mail: rajssa.cce@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीसीई/उपचारात्मक शिक्षण/2020–21/ 13560

दिनांक 10/8/2020

कक्षा 6–8 में शैक्षिक स्तर से न्यून विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण संचालन दिशा–निर्देश सत्र 2020–21

सत्र 2019–20 के दौरान कोविड–19 संक्रमण के कारण सम्पूर्ण देश में लॉक–डाउन लगाया गया। इस विषम परिस्थिति के कारण सत्रान्त (मार्च 2020) के दौरान सरकार द्वारा विद्यालयों का संचालन बन्द करना पड़ा। इस कारण विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया बाधित हुई है। कोरोना महामारी के कारण 4 से 5 माह के लम्बे समय अन्तराल के कारण विद्यार्थी नियमित कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया से वंचित रहे है। जिससे उनका शैक्षिक स्तर अपने अपेक्षित कक्षा स्तर से कम हुआ है। इस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को विद्यालय पुनः संचालन पर अतिरिक्त सम्बलन प्रदान करने की आवश्यकता है।

सत्र 2020–21 की कार्ययोजना में समग्र शिक्षा के माध्यम से वर्तमान सत्र में कक्षा 6–8 में नामांकित विद्यार्थी जिनका शैक्षिक स्तर अपेक्षित कक्षा स्तर से कम है, ऐसे विद्यार्थियों के साथ नवीन शिक्षण विधा से विशेष शिक्षण करवाते हुए उन्हें कक्षा स्तर तक लाने हेतु उपचारात्मक कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

उद्देश्य –

1. विद्यार्थियों के कक्षा स्तर अनुरूप शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना।
2. सभी विद्यार्थियों को अधिगम सम्प्राप्ति अनुरूप तैयार करना।
3. लर्निंग गैप को न्यूनतम स्तर तक लाना।
4. कक्षा में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करना।

विद्यार्थी चयन का आधार –

वर्तमान परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ कक्षा–कक्षीय शिक्षण कार्य लम्बे समय तक बाधित रहा है। इसके कारण विद्यार्थियों की अपने कक्षा स्तर से पिछड़ने की संभावना अधिक है तथा विद्यार्थी की प्रगति व स्तर की सम्पूर्ण जानकारी भी शिक्षक प्राप्त नही कर सके। अतः विद्यालयों के खुलने पर विद्यार्थी के साथ शिक्षण की शुरूआत करने तथा उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री का उपयोग करने से पूर्व शिक्षकों को विद्यार्थी के स्तर का ज्ञान होना आवश्यक है।

- विद्यार्थी के स्तर का निर्धारण हेतु शिक्षक विद्यालय खुलने के पश्चात प्रथम सप्ताह में एक प्रश्नपत्र/कार्यपत्रक (टूल) द्वारा विद्यार्थी का आधाररेखा आंकलन करेंगे। आधाररेखा आंकलन के अंको के आधार पर सी व डी ग्रेड अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं उपचारात्मक शिक्षण सामग्री (कार्यपुस्तिका) का उपयोग किया जायेगा।

उपचारात्मक शिक्षण हेतु सहायक सामग्री (कार्यपुस्तिका) –

विद्यालयों मे उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षा स्तर से न्यून स्तर के छात्रों को हिन्दी, अंग्रेजी व गणित की कार्यपुस्तिकाए प्रदान की जायेगी। जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

कक्षा समूह	विषय समूह
कक्षा 1–2	हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित
कक्षा 3–4	हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित
कक्षा 5–6	हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित

कार्यपुस्तिकाओं का उपचारात्मक शिक्षण में निम्न रूप से उपयोग किया जाना अपेक्षित है –

- शिक्षण के दौरान किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए।
- उस अवधारणा पर विद्यार्थियों को अभ्यास करने का अवसर प्रदान करने के लिए।
- अवधारणा पर विद्यार्थी की समझ का आंकलन करने हेतु।

कार्यपुस्तिका का वितरण –

कार्यपुस्तिकाओं का वितरण 29 फरवरी 2020 को गुणवत्ता दिवस पर आयोजित परीक्षा के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा। उक्त परीक्षा में जिन विद्यार्थियों द्वारा 65 प्रतिशत से न्यून अंक प्राप्त किये है, उन्हें प्राथमिकता से (न्यून से उच्च प्रतिशत की ओर) उक्त कार्यपुस्तिकाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाये।

शिक्षण समायावधि / कालांश निर्धारण –

1. विद्यार्थियों के साथ उपचारात्मक शिक्षण विद्यालय प्रारम्भ करने पर किया जायेगा। शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी के अधिगम स्तर को कक्षा स्तर पर आने तक संचालित करेंगे।
2. विशेष कक्षाओं का आयोजन विद्यालय समय विभाग चक्र में निदानात्मक शिक्षण हेतु निर्धारित पाँच कालांशों में किया जाएगा।
3. हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषय के उपचारात्मक शिक्षण हेतु निर्धारित 5 कालांशों में से 2 कालांश गणित, 2 कालांश अंग्रेजी एवं 1 कालांश हिंदी हेतु उपयोग किया जायेगा।
4. उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवश्यकता अनुसार शिक्षण कालांश विभाजन में से कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु निर्धारित कालांशों का भी उपयोग किया जा सकता है।
5. आधाररेखा आंकलन के आधार पर विषयवार चयनित विद्यार्थियों का उपसमूह बनाकर कार्य करेंगे।

अध्यापन कार्य व्यवस्था –

1. विशेष कक्षाओं के शिक्षण कार्य में भूमिका विभाग द्वारा नियुक्त बीएसटीसी/बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों (इन्टर्न) की रहेगी। किन्तु अकादमिक सम्बलन एवं मॉनीटरिंग का पूर्ण दायित्व पढ़ा रहे विषय अध्यापक एवं संस्थाप्रधान का होगा।
2. जिन विद्यालयों में बीएसटीसी/बी.एड. प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध नहीं होते है, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में अध्यापन कार्य करा रहे विषय अध्यापक ही शिक्षण कार्य करवाएगे।
3. उपचारात्मक शिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की उपस्थिति पृथक से रजिस्टर में संधारित की जाए।
4. शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का आंकलन साप्ताहिक किया जायेगा।

गतिविधि का संचालन एवं प्रक्रिया –

1. बच्चों के मन से कोविड का डर हटाने और उन्हें दोबारा विद्यालय में समायोजित करने के लिए विद्यालय के पुनः संचालन पर प्रारम्भिक 5–6 दिन विद्यार्थियों के साथ रूचिकर गतिविधियां कराई जायें। इससे विद्यार्थी सहज हो पायेंगे और विद्यालय से उनका जुडाव बना रहेगा।
2. विद्यार्थी के स्तर का निर्धारण हेतु शिक्षक विद्यालय खुलने के पश्चात प्रथम सप्ताह में एक प्रश्नपत्र/कार्यपत्रक (टूल) द्वारा विद्यार्थी का आधाररेखा आंकलन करेंगे।
3. शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य गतिविधि आधारित किया जायेगा। इस हेतु दैनिक / साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाकर तदनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जाये।

4. उपचारात्मक कार्य का आंकलन करते हुए विद्यार्थी के अधिगम स्तर को कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास अनिवार्यतः किये जायेगा।
5. शिक्षक का यह दायित्व है कि विद्यार्थी की प्रगति का नियमित आंकलन / मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें।

संधारित किए जाने वाले दस्तावेज़ –

विशेष शिक्षण कार्य में निम्न दस्तावेज़ों का संधारण किया जाएगा –

- **पाठ योजना** – शिक्षण कार्य से पूर्व दैनिक/ साप्ताहिक पाठ योजना का निर्माण करें।
- **शिक्षण कार्य योजना** – अधिगम स्तर सम्प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण शिक्षण कार्य योजना।
- **विद्यार्थी प्रगति एवं उपलब्धि रजिस्टर** (विद्यालय स्तर पर उपलब्ध करया जाये) – साप्ताहिक, मध्य मूल्यांकन एवं समग्र मूल्यांकन का संधारण।

संस्था प्रधान/विषय अध्यापक के दायित्व –

- संस्था प्रधान की भूमिका शिक्षण के साथ–साथ सम्बलनकर्ता के रूप में रहेगी।
- संस्था प्रधान नियमित कक्षाओं को सम्बलन प्रदान करें एवं निर्धारित प्रपत्र में आंकलन करते हुए टिप्पणी दर्ज करें।
- विद्यार्थियों की विशेष शिक्षण कालांश में नियमितता एवं ठहराव पर समय–समय पर अभिभावक से चर्चा करें।
- उपचारात्मक शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को एसएमसी/एसडीएमसी के साथ चर्चा कर समाधान के प्रयास करें।
- एसएमसी/एसडीएमसी एवं अभिभावकों से विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करें।
- शिक्षण कार्य में विषय अध्यापक नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहकर इन्टर्न को मार्गदर्शन एवं सहयोग करें।
- आवश्यक सभी दस्तावेज़ों के संधारण का कार्य विषयाध्यापक द्वारा किया जाएगा।
- छात्राध्यापकों (इन्टर्न) के आन्तरिक मूल्यांकन के निर्धारण में संस्था प्रधान इन्टर्न द्वारा किए गए विशेष शिक्षण कार्य की प्रगति के आधार पर अभिशंषा करेंगे।
- इन्टर्न के बीएड /बीएसटीसी के कोर्स में आन्तरिक मूल्यांकन के निर्धारण में विशेष शिक्षण में सहयोग की प्रगति को प्राथमिकता दी जाए।

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका –

- पंचायत क्षेत्र में सभी विद्यालयों में गुणवत्ता दिवस के परिणामों के आधार पर समुचित संख्या में कार्यपुस्तिकाओं की उपलब्धता एवं विद्यार्थियों के पदस्थापन के आधार पर कक्षा स्तर एवं कक्षा से न्यून स्तर के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर वितरण की स्थिति की समीक्षा।
- संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण–अधिगम योजना की नियमित समीक्षा।
- उपचारात्मक शिक्षण संचालन करने में शिक्षकों को आने वाली अकादमिक चुनौतियों के संदर्भ में नियमित रूप से सीबीईओ कार्यालय के माध्यम से डाईट को अवगत कराना।

- उपचारात्मक शिक्षण संचालन में शिक्षकों को आने वाली अकादमिक चुनौतियों पर पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध दक्ष प्रशिक्षक से सहयोग उपलब्ध कराना।
- शाला दर्पण पोर्टल पर योगात्मक आंकलन दर्ज़ करने की स्थिति की समीक्षा।

मॉनीटरिंग –

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश, MHRD की गाईडलाईन एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- गतिविधि के प्रभावी संचालन हेतु सम्बन्धित सीबीईओ/पीईईओ नियमित अवलोकन एवं सम्बलन प्रदान करें।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप विषयवार कक्षाओं का संचालन की समीक्षा संस्थाप्रधान, पीईईओ एवं एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा नियमित की जाए।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर (प्रा.शि.एवं मा.शि.) के अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग की जायेगी।
- अकादमिक सम्बलन का दायित्व डाइट एवं एससीईआरटी उदयपुर का होगा।
- DAG/DCG की मासिक बैठकों में गतिविधि की प्रगति की समीक्षा की जाए।

10/8

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीसीई/उपचारात्मक शिक्षण/2020–21/13560 दिनांक 10/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूलशिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा समस्त संभाग।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
9. अति रिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. कार्यालय प्रति।

10.8.20

अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम